Date - 15.04.2020
Wednesday

Class - B.A - I
(Political science Honours)

Name of the Guest Teacher — Khushbu kumari
(Department of Political science, V.S.J college, Rajnagar)

Topic — न्याय (न्याय के विविध रूप)

न्याय धारणा के विविध रूप

परम्परागत रूप में न्याय की दो धारणा थी — नैतिक तथा कानूनी। परंतु वर्तमान समय में न्याय का रूप काफी व्यापक हो गया है। न्याय की धारणा के इस व्यापक रूप का उल्लेख निम्नलिखित है —

(1) कानूनी न्याय — आधुनिक राष्ट्र राज्य में न्याय को सबसे प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है —

(i) कानूनों का निर्माण
(ii) कानूनों को लागू करना

Scanned with CamScanner

आधुनिक राज्य में कानूनों का निर्माण संविधान के अनुसार विधायिका के द्वारा किया जाता है तथा कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है। वस्तुतः आज न्याय प्राप्त करने के लिए उचित कानूनों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। कानूनों का न्यायोचित होना अत्यंत ही आवश्यक होता है और इसके साथ ही उसको न्यायोचित ढंग से लागू भी किया जाना चाहिए अर्थात् कानूनों का पालन करवाने में नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा कानून के समक्ष समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए। तभी कानून के माध्यम से न्याय को प्राप्त किया जा सकता है।

आज विश्व के अधिकांश देश संविधान के अनुसार राज्य का शासन चलाते हैं तथा कानूनों का निर्माण भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही करते हैं। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है। अर्थात् विधायिका के द्वारा कानूनों का निर्माण संविधान के अनुसार ही किया जाता है। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है, जो संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका

Scanned with CamScanner

इस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अर्थात् विधायिका मनमाने ढंग से कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। वस्तुतः कानून के द्वारा न्याय तभी दिया जा सकता है जब कानून लोक कल्याणकारी, मेधमान रहित तथा न्यायोचित हो तथा कानून का उल्लंघन करने पर उचित दण्ड का प्रावधान हो।

(2) नैतिक न्याय — न्याय के परम्परागत दर्शन में न्याय के नैतिक रूप को ही अपनाया गया था। नैतिक न्याय इस विचार पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों तथा प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हम इन नियमों के विपरीत आचरण करते हैं, तब वह न्याय के विरुद्ध होता है।

नैतिक न्याय के अन्तर्गत इन बातों को शामिल किया जाता है — सत्य बोलना, दया भावना रखना, वचन का पालन करना, उदारता एवं दान जैसी भावना को अपनाना इत्यादि।

Scanned with CamScanner

(3) राजनीतिक न्याय — राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है — राज-व्यवस्था में राज्य के सभी नागरिकों को अपनी सहभागिता निभाने का समान अवसर मिले, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए बिना भेदभाव के अवसर मिले तथा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो।

राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधन हैं — वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं; प्रेस की स्वतंत्रता; न्यायपालिका की स्वतंत्रता; बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना इत्यादि। राजनीतिक न्याय की धारणा में इस बात को शामिल किया जाता है कि राजनीति में कोई विशिष्ट वर्ग नहीं होगा। राज्य के सभी वर्ग के लोगों को राजनीतिक सहभागिता का अवसर बिना किसी पक्षपात तथा भेदभाव के मिलेगा। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की एक प्रमुख विशेष अपने राज्य के नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्रदान करना है।

Scanned with CamScanner

(4) सामाजिक न्याय — सामाजिक न्याय का अर्थ होता है — नागरिकों के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए तथा सभी व्यक्तियों को अपने विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इसमें यह बात शामिल है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां सभी व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए।

वर्तमान लोकतांत्रिक राज्य में सामाजिक न्याय का विचार सर्वाधिक लोकप्रिय है। समाजवाद तथा मार्क्सवाद जैसी विचारधारा ने सामाजिक न्याय की धारणा को अधिक व्यापक रूप प्रदान किया है।

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को अनेक रूपों में स्वीकार किया गया है। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार तथा चौथे भाग में नीति-निदेशक सिद्धांत में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के अनेक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानूनों के सामने समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव

Scanned with CamScanner

की मनाही, अनुच्छेद 16 के द्वारा अवसर की समानता दिया गया तथा अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो सभी प्रकार के शोषण, बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया है, समाज के कमजोर वर्गों, बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं तथा इनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित प्रावधान किये गये हैं।

(5) आर्थिक न्याय — आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन-सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाय और कुछ अमीर व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाय या उनके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाय। इसमें यह बात भी निहित है कि पहले समाज के सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, इसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner